Toppersnotes®
Unleash the topper in you

MPPSC

राज्य सिविल सेवाएँ

प्रीलिम्स

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

भाग - 2

भारतीय राजनीति

SIERRA INNOVATIONS

विषयसूची

S No.	Chapter Title	Page No.
1	संविधान सभा	1
2	संविधान की विशेषताएँ	8
3	संवैधानिक संशोधन और आधारभूत संरचना का सिद्धांत	14
4	प्रस्तावना	24
5	मूल अधिकार	28
6	राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत	44
7	मौलिक कर्तव्य	49
8	राष्ट्रपति	51
9	प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्	61
10	संसद	66
11	सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक समीक्षा	88
12	संवैधानिक निकाय	98
13	गैर–संवैधानिक निकाय	108

1
CHAPTER

संविधान सभा

संविधान बुनियादी सिद्धांतों या स्थापित परंपराओं का एक दस्तावेज है, जो किसी राष्ट, संगठन या संस्थाओं का कानूनी आधार निर्मित करता हैं। यह सरकार की शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारण करता है और लोगों को मूलभूत अधिकारों की गारंटी देता है।

संविधान दो प्रकार के हो सकते हैं:

1. लिखित संविधान: इसमें सरकार की संरचना और कार्यों का एक लिखित औपचारिक विवरण होता है।
2. अलिखित संविधान: यह समय के साथ विकसित हुए कानूनों, रीति-रिवाजों और परंपराओं का संग्रह होता है।

संविधान की भूमिकाएँ और कार्य

1. यह समाज के सदस्यों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए कुछ बुनियादी नियम प्रदान करता है।
2. यह तय करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और सरकार का गठन कैसे होगा।
3. यह सरकार के अधिकारों पर कुछ सीमाएं तय करता है ताकि नागरिकों पर अनावश्यक प्रतिबंध न लगे। ये सीमाएं मौलिक होती हैं और सरकार कभी इनका उल्लंघन नहीं कर सकती।
4. यह सरकार को समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने और एक न्यायपूर्ण समाज बनाने की दिशा में काम करने में सक्षम बनाता है।
5. यह बुनियादी मानदंडों और सिद्धांतों को परिभाषित करके राजनीतिक और नैतिक पहचान तय करता है।

संविधान से सम्बंधित महत्वपूर्ण कथन

- "संविधान का ढांचा केवल कानूनी संरचना स्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था।" - ग्रेनविल ऑस्टिन
- "भारतीय संविधान स्वयं राष्ट्र की 'आधारशिला' है। राष्ट्र संविधान के कारण ही अस्तित्व में है।" - ग्रेनविल ऑस्टिन
- "भारतीय संविधान संवैधानिकता के क्षेत्र में एक अनोखा प्रयोग है। यह अन्य संविधानों की तरह एक सामान्य दस्तावेज़ नहीं है।" - पी. भानु मेहता
- "यह पवित्र है। अन्य देशों में क्रांतियों के कारण संविधान बने, लेकिन भारतीय संविधान स्वयं क्रांतिकारी है।" - पी. भानु मेहता
- "संविधान मात्र वकीलों का दस्तावेज़ नहीं है, यह जीवन का वाहन है और इसकी आत्मा युग की भावना है।" - डॉ. बी.आर. आंबेडकर
- "संवैधानिक नैतिकता प्राकृतिक भावना नहीं है; इसे सोचा-समझा जाना चाहिए।" - डॉ. बी.आर. आंबेडकर
- "संविधान, एक मशीन की तरह, एक निर्जीव वस्तु है। यह जीवन उन लोगों के कारण प्राप्त करता है, जो इसे नियंत्रित करते हैं। भारत को आज ईमानदार लोगों की जरूरत है, जो देश के हित को प्राथमिकता दें।" - डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- "यदि संविधान जनता के जीवन, लक्ष्यों और आकांक्षाओं से अलग हो तो वह खोखला हो जाता है।" जवाहरलाल नेहरू

Topper Notes
Unleash the topper in you

संविधान से संबंधित प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक

- The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation - ग्रेनविल ऑस्टिन
- Working a Democratic Constitution: A History of the Indian Experience - ग्रेनविल ऑस्टिन
- The Constitution of India - पी.एम. बक्शी
- The Indian Constitution: A Historical Perspective - वी.डी. महाजन
- The Republic of India: Development of its Laws and Constitution - पेंडरल मून
- The Constitution of India: A Critical Commentary - एच.एम. सीरवाल
- An Introduction to the Constitution of India - डी.डी. बसु
- The Indian Constitution: A Case Study in Implementation - एस.एन. महेश्वरी
- The Making of the Constitution of India - बी. शिव राव
- The Federal Structure of the Indian Union - एम.पी. जैन
- India's Constitution: A Political Analysis - राजीव धवन
- Constitutional Government in India - एम.वी. पाईली
- The Indian Constitution: A Comparative Study - एम.सी. सीतलवाड
- Gandhian Constitution for Free India - वी.के. कृष्ण मेनन
- Divide and Quit; Democracy and Discontent- अतुल कोहली
- The idea of India - सुनील खिलनानी
- The Success of India's Democracy - ग्रेनविल ऑस्टिन
- India After Gandhi - आर.गुहा
- State against Democracy - रजनी कोठारी

1. संविधान सभा

संविधान सभा, भारतीय संविधान का प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक उत्तरदायी निकाय थी। इसका गठन वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि और विभिन्न रियासतों के मनोनीत प्रतिनिधि शामिल थे। संविधान सभा ने विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा लेते हुए संविधान के सिद्धांतों और प्रावधानों पर गहन विचार-विमर्श किया।

संविधान सभा के कुल सत्र - 11

- पहला सत्र - 9 दिसंबर 1946
- अंतिम सत्र - 24 जनवरी 1950

संविधान सभा से सम्बंधित महत्वपूर्ण कथन

- “केवल संविधान सभा ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है और सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है" महात्मा गांधी
- संविधान सभा ‘हिंदुओं का निकाय’ था- लॉर्ड विसकाउंट
- संविधान सभा ने 'भारत के केवल एक बड़े समुदाय' का प्रतिनिधित्व किया- विंस्टन चर्चिल
- "संविधान सभा एक- दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है।"-ग्रेनविले ऑस्टिन

भारत के संविधान का निर्माण

समयावधि

06-12-1946
संविधान सभा का गठन

09-12-1946
- पहली बैठक संविधान सभागार (वर्तमान संसद का सेंट्रल सभागार) में आयोजित की गई थी।
- जे.बी. कृपलानी द्वारा संबोधित

11-12-1946
संविधान सभा
- अध्यक्ष - डॉ राजेंद्र प्रसाद
- उपाध्यक्ष - एचसी मुखर्जी
- संवैधानिक एवं कानूनी सलाहकार - बी.एन. राव

13-12-1946
उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया

22-01-1947
उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत

22-07-1947
राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया

15-08-1947
स्वतंत्रता मिली। भारत डोमिनियन ऑफ़ इंडिया और डोमिनियन ऑफ़ पाकिस्तान में विभाजित हो गया

29-08-1947
प्रारूप समिति नियुक्त की गई।

16-07-1948
एच.सी. मुखर्जी के साथ वी.टी. कृष्णमाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए

26-11-1949
'भारत का संविधान' सविधान सभा द्वारा पारित और अंगीकृत किया गया।

24-01-1950
- संविधान सभा की अंतिम बैठक।
- 'भारत का संविधान' 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, 22 भाग के साथ हस्ताक्षरित और स्वीकृत हुआ

26-01-1950
भारत का संविधान लागू हुआ (इसमें 2 वर्ष, 11 महीने, 18 दिन लगे)

कैबिनेट मिशन योजना ने भारत की संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया:

- कुल सदस्य = 389, जो आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत थे।
  - ✓ ब्रिटिश भारत के लिए 296 सीटें निर्धारित की गई-
    - 11 गवर्नर प्रांतों से- 292 सदस्य
    - 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों से- 4 सदस्य
  - ✓ देशी रियासतों के लिए 93 सीटें निर्धारित की गई।
- सीटों का आबंटन जनसंख्या के अनुपात में किया गया।
- ब्रिटिश प्रांतों में मुसलमानों, सिखों और सामान्य (अन्य) समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का बटवाँरा किया गया।
- प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधान सभा के उसी समुदाय के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के अनुपातिक प्रतिनिधित्व से किया जाना था।
- देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को रियासतों के प्रमुखों द्वारा मनोनीत किया जाना था।
- ब्रिटिश भारतीय प्रांतों (296 सीटों) के लिए जुलाई-अगस्त 1946 में चुनाव हुए।
- चुनाव परिणाम-
  - ✓ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस - 208 सीट
  - ✓ मुस्लिम लीग- 73 सीट
  - ✓ स्वतंत्र उम्मीदवार- 15 सीट
- प्रारंभ में देशी रियासतों को आबंटित 93 सीटें रिक्त रही, क्योंकि उन्होंने संविधान सभा से अलग रहने का निर्णय लिया था।
- हालांकि 28 अप्रैल, 1947 को 6 रियासतों (बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रीवा, उदयपुर) के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल हो गए।
- माउंटबेटन योजना (3 जून 1947) के बाद अन्य देशी रियासतें भी संविधान सभा में शामिल हो गई।
- तत्पश्चात भारतीय क्षेत्रों से निर्वाचित मुस्लिम लीग के सदस्य भी संविधान सभा में शामिल हो गए।
- महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।

Toppersnotes Unleash the topper in you

1.1 संविधान सभा की कार्यप्रणाली

- संविधान सभा की पहली बैठक: 9 दिसंबर 1946 ।
  - ✓ मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग की।
    - पहली बैठक में केवल 211 सदस्य उपस्थित हुए थे।
  - ✓ संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष- डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा (फ्रांसीसी पद्धति द्वारा - वरिष्ठ सदस्य को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया)।
  - ✓ बाद में 11 दिसंबर, 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया।
    - उपाध्यक्ष- एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी (16 जुलाई, 1948)।
    - **संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष-** फ्रैंक एंथनी
    - **संविधान सभा के सचिव-** एच.वी.आर. आयंगर

1.2 उद्देश्य प्रस्ताव

- 13 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा के तीसरे सत्र में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे 22 जनवरी, 1947 को सभा ने सर्वसम्मति से अपनाया ।
- महत्वपूर्ण प्रावधान:
  - ✓ भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया।
  - ✓ भारत, ब्रिटिश भारत के उन क्षेत्रों का संघ होगा जो इसमें शामिल होंगे।
  - ✓ भारतीय सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, जिसे सभी अवशिष्ट शक्तियाँ और सरकार एवं प्रशासन के सभी अधिकार दिए जाएंगे।
  - ✓ स्वतंत्र भारत की शक्ति और अधिकार जनता से प्राप्त होंगे।
  - ✓ भारत के सभी नागरिकों हेतु निम्न अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे:
    - न्याय - सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक
    - समानता - अवसर की समानता, और विधि के समक्ष समता
    - स्वतंत्रता - विचार, अभिव्यक्ति, आस्था, विश्वास, उपासना, कार्रवाई और संगठन बनाने की स्वतंत्रता।
  - ✓ अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाएंगे।
  - ✓ संघ की क्षेत्रीय अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा और इसके भू-क्षेत्र, समुद्र, और वायु क्षेत्र को सभ्य राष्ट्रों के न्याय और कानून के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जायेगी।
  - ✓ विश्व में अपना उचित और सम्मानित स्थान प्राप्त करना और विश्व शांति एवं मानवता के कल्याण के लिए पूर्ण और स्वेच्छापूर्वक योगदान देना।

1.3 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के पश्चात् परिवर्तन

- संविधान सभा पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाया गई, जो संविधान निर्माण के साथ-साथ विधायिका के रूप में भी स्थापित हुई।
  - ✓ इसका कार्य संविधान निर्माण (संविधान सभा के रूप में) और देश के लिए सामान्य कानून निर्माण (विधायिका के रूप में) करना था।
    - संविधान सभा के रूप में : अध्यक्ष - डॉ. राजेंद्र प्रसाद
    - विधायिका के रूप में : अध्यक्ष - जी.वी. मावलंकर (26 नवंबर, 1949 तक)

- पाकिस्तान में शामिल क्षेत्रों से निर्वाचित मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा से अलग हो गए, जिससे-
  - ✓ संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 से घटकर 299 रह गई।
  - ✓ भारतीय प्रांतों की सदस्य संख्या 296 से घटकर 229 रह गई।
  - ✓ रियासतों की सदस्य संख्या 93 से घटकर 70 रह गई।

1.4 संविधान सभा के अन्य कार्य

- मई 1949 में भारत की राष्ट्रमंडल सदस्यता का सत्यापन किया।
- 22 जुलाई, 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपनाया।
- 24 जनवरी, 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाया।
- 24 जनवरी, 1950 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना।
- 24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित हुआ। इसके बाद संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से वर्ष 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद निर्मित संसद के निर्माण तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया।

2. संविधान सभा की समितियाँ

	समिति	अध्यक्षता
प्रमुख समितियाँ	संघ शक्ति समिति	जवाहरलाल नेहरु
	संघ संविधान समिति	जवाहरलाल नेहरु
	प्रांतीय संविधान समिति	सरदार वल्लभभाई पटेल
	प्रारूप समिति	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
	मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति	सरदार वल्लभभाई पटेल1
	मौलिक अधिकार उप-समिति	जे.बी.कृपलानी
	अल्पसंख्यक उप-समिति	एच.सी. मुखर्जी
	उत्तर-पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम को छोड़कर एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप-समिति	गोपीनाथ बरदोलोई
	बहिष्कृत एवं आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र (असम के अलावा) उप-समिति	ए.वी. ठक्कर
	प्रक्रिया नियम समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
	राज्य समिति (राज्यों से समझौता करने के लिए)	जवाहरलाल नेहरु
	संचालन समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
लघु समितियाँ	वित्त और कर्मचारी समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
	साख समिति (Credentials Committee)	ए.के. अय्यर
	सदन समिति	बी. पट्टाभि सीतारमैया
	कार्य संचालन समिति	डॉ. के.एम. मुंशी
	राष्ट्रीय ध्वज सम्बन्धी तदर्थ समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
	संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति	जी.वी. मावलंकर

	सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति	एस. वरदाचारी
	मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति	बी. पट्टाभि सीतारमैया
	संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों के लिए विशेषज्ञ समिति	नलिनी रंजन सरकार
	भाषाई प्रान्त आयोग	एस. के. धर
	संविधान के प्रारूप की जांच के लिए विशेष समिति	जवाहरलाल नेहरु
	प्रेस दीर्घा समिति	उषा नाथ सेन
	नागरिकता पर तदर्थ समिति	एस. वरदाचारी

2.1 प्रारूप समिति

- 29 अगस्त 1947 को नए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति का गठन किया गया।
- 7 सदस्यों वाली इस समिति में निम्न सदस्य शामिल थे:
  - ✓ डॉ. बी.आर. अम्बेडकर - अध्यक्ष
  - ✓ एन. गोपालस्वामी अय्यंगर
  - ✓ अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर
  - ✓ डॉ. के.एम. मुंशी
  - ✓ सैयद मोहम्मद सादुल्ला
  - ✓ एन.एम. राव
  - ✓ टी.टी. कृष्णमाचारी
- पहला प्रारूप फरवरी, 1948 में प्रकाशित किया गया।
- दूसरा प्रारूप अक्टूबर, 1948 में प्रकाशित हुआ।

- एस.एन. मुखर्जी = संविधान के मुख्य प्रारूपकार
- प्रेम बहारी नारायण रायज़ादा = सुलेखक/सुलेखकर्ता
  - ✓ संविधान के मूल प्रति को अपने हाथों से सुंदर प्रवाहपूर्ण इटैलिक शैली में लिखा।
- सजावट और अलंकरण - नंदलाल बोस और ब्योहर राममनोहर सिन्हा सहित शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा।
- हिंदी संस्करण का सुलेखक = वसंत कृष्ण वैद्य
  - ✓ सजावट और अलंकरण - नंदलाल बोस
- संविधान सभा का प्रतीक - हाथी
  - ✓ हाथी की आकृति सभा की मुहर पर उकेरी गई थी।
- मूल रूप से, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा में किसी अधिकृत पाठ का प्रावधान नहीं था।
  - ✓ वर्ष 1987 में 58वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अंतिम भाग में एक नया अनुच्छेद 394-A जोड़ा गया, जिससे यह प्रावधान बना।

Toppersnotes
Unleash the topper in you

2.2 संविधान का प्रभाव में आना

- डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप प्रथम वाचन के लिए प्रस्तुत किया।
- द्वितीय वाचन- 15 नवंबर 1948
- तृतीय वाचन- 14 नवंबर 1949
- संविधान का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ (संविधान दिवस)
- 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में शामिल थे:
  - ✓ प्रस्तावना
  - ✓ 395 अनुच्छेद
  - ✓ 8 अनुसूचियाँ

- नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान, और संक्षिप्त शीर्षक से संबंधित जुड़े अनुच्छेदों 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 के प्रावधान 26 नवंबर 1949 से लागू हुए तथा शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुए।
- संविधान को अपनाने के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 और भारत सरकार अधिनियम, 1935 के सभी प्रावधान निरस्त कर दिए गए।
- हालांकि 'प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार उन्मूलन अधिनियम (1949)' जारी रहा।

2.3अंतरिम सरकार के सदस्य

अंतरिम सरकार की मंत्रिमंडल निम्नलिखित सदस्यों से बनी थी:

- कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष (भारत के वायसराय और गवर्नर-जनरल): वायसराय विस्काउंट वेवेल (फरवरी 1947 तक), लॉर्ड माउंटबेटन (फरवरी 1947 से)
- उपाध्यक्ष: जवाहरलाल नेहरू
- कमांडर-इन-चीफ: सर क्लॉड ऑकिनलेक

नाम	विभाग
जवाहरलाल नेहरू (कांग्रेस)	विदेश मामले और कॉमनवेल्थ संबंध
सरदार वल्लभभाई पटेल (कांग्रेस)	गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण
राजेंद्र प्रसाद (कांग्रेस)	कृषि और खाद्य
इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर (मुस्लिम लीग)	वाणिज्य
बलदेव सिंह (कांग्रेस)	रक्षा
लियाकत अली खान (मुस्लिम लीग)	वित्त
सी. राजगोपालाचारी (कांग्रेस)	शिक्षा और कला
ग़ज़नफर अली खान (मुस्लिम लीग)	स्वास्थ्य
जगजीवन राम (कांग्रेस)	श्रम
जोगेंद्र नाथ मंडल (मुस्लिम लीग)	विधि
अब्दुर रब नश्तर (मुस्लिम लीग)	रेलवे और संचार, डाक और वायु सेवा
सी. एच. भाभा (कांग्रेस)	कार्य, खदान और ऊर्जा

2.4 स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल

नाम	पद
जवाहरलाल नेहरू	प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री
सरदार वल्लभभाई पटेल	उपप्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद	शिक्षा मंत्री
डॉ. राजेंद्र प्रसाद	खाद्य और कृषि मंत्री
जॉन मथाई	वित्त मंत्री
सरदार बलदेव सिंह	रक्षा मंत्री
जगजीवन राम	श्रम और पुनर्वास मंत्री
रफी अहमद किदवई	संचार मंत्री
सी. राजगोपालाचारी	सूचना और प्रसारण मंत्री
डॉ. भीमराव अंबेडकर	कानून मंत्री
सरदार सुरजीत सिंह	रेल मंत्री

Unleash the topper in you

2 CHAPTER संविधान की विशेषताएँ

भारतीय संविधान, हमारे लोकतंत्र की नींव है, जिसे समय के साथ देश की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है।

यह शासन के लिए एक लिखित दस्तावेज है, जो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, शक्तियों के पृथक्करण और विधि के शासन को सुनिश्चित करता है।

1. भारतीय संविधान की विशेषताएँ

1.1 सबसे लंबा लिखित संविधान

- मूल रूप से (1949) संविधान में प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद (22 भागों में विभाजित) और 8 अनुसूचियाँ थीं।
- वर्तमान में, इसमें प्रस्तावना, 448 अनुच्छेद (25 भागों में विभाजित) और 12 अनुसूचियाँ हैं। (संविधान में अब तक कुल 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं।)

1.2 विभिन्न देशों/अधिनियमों से भारतीय संविधान में शामिल किये गए प्रावधान-

देश/अधिनियम	प्रावधान	
ऑस्ट्रेलिया	➢ समवर्ती सूची ➢ व्यापार, वाणिज्य और संपर्क की स्वतंत्रता ➢ संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक	
कनाडा	➢ सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ➢ अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना ➢ राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा ➢ सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन	
आयरलैंड	➢ राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत (आयरलैंड ने स्पेन से अपनाए) ➢ राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन ➢ राष्ट्रपति चुनाव की निर्वाचन पद्धति	
जापान	➢ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (अनुच्छेद 21)	
सोवियत संघ/रूस	➢ मूल कर्तव्य ➢ प्रस्तावना में न्याय का आदर्श (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक) (42वां संशोधन अधिनियम)	
ब्रिटेन / यूनाइटेड किंगडम	➢ संसदीय शासन प्रणाली ➢ कानून का शासन ➢ विधायी प्रक्रिया ➢ एकल नागरिकता	➢ मंत्रिमंडलीय प्रणाली ➢ परमाधिकार रिट ➢ संसदीय विशेषाधिकार ➢ द्विसदनीय व्यवस्था

Toppersnotes Unleash the topper in you

अमेरिका	➢ मौलिक अधिकार ➢ न्यायपालिका की स्वतंत्रता ➢ न्यायिक समीक्षा ➢ राष्ट्रपति का महाभियोग ➢ प्रस्तावना ➢ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना ➢ उपराष्ट्रपति का पद ➢ कार्यकारी प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति
जर्मनी (वाइमर गणतंत्र)	➢ आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन
दक्षिण अफ्रीका	➢ भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया (अनुच्छेद 368) ➢ राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन
फ्रांस	➢ गणराज्य (निर्वाचित प्रमुख) ➢ प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श
भारत शासन अधिनियम, 1935	➢ वर्तमान संविधान का लगभग 50 से 60% हिस्सा इससे लिया गया है। ➢ संघीय संरचना ➢ राज्यपाल का पद ➢ न्यायपालिका ➢ लोक सेवा आयोग ➢ आपातकालीन प्रावधान

1.3 अन्य प्रमुख विशेषताएं

विशेषता	विवरण
नम्यता और अनम्यता का सम्मिश्रण	संविधान के कुछ हिस्सों को साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, जबकि अन्य हेतु 2/3 बहुमत और आधे राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
धर्मनिरपेक्ष राज्य	भारत का कोई भी आधिकारिक राज्य धर्म नहीं है।
संसदीय प्रणाली	ब्रिटेन की राज व्यवस्था पर आधारित; जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है; राष्ट्रपति नाममात्र प्रमुख होत हैं, और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होत हैं।
एकल नागरिकता	संघ द्वारा प्रदत्त एकल नागरिकता जो सभी राज्यों में मान्य है।
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार	18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिए "एक व्यक्ति, एक वोट" के माध्यम से राजनीतिक समानता (मत देने की उम्र को 61वें संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई)
स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका	सर्वोच्च न्यायालय को शीर्ष पर रखते हुए पदानुक्रमिक न्यायपालिका, जो केंद्रीय और राज्य दोनों कानूनों को लागू करती है।
मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति-निदेशक तत्व	विधि द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार; राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत (DPSPs) शासन को मार्गदर्शन देते हैं; मूल कर्तव्य नैतिक दायित्व हैं (42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए)।
सशक्त केंद्र वाला संघ	अविनाशी संघ, विनाशी राज्य (अनुच्छेद 1); आपातस्थिति में एकात्मक

संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय	न्यायिक समीक्षा के साथ स्वतंत्र न्यायपालिका; संसद को संविधान संशोधन का अधिकार।
स्वतंत्र निकाय	निर्वाचन आयोग (ECI), नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG), संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), और राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) जैसे संस्थान निष्पक्ष शासन सुनिश्चित करते हैं।
आपातकालीन प्रावधान	एकता, अखंडता, संप्रभुता और रक्षा के लिए सुरक्षा उपाय।
त्रि-स्तरीय शासन व्यवस्था	73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 9 और 9-क में स्थानीय शासन की स्थापना का प्रावधान किया गया।
सहकारिता	97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे शासन के एक मौलिक पहलू के रूप में जोड़ा गया।

2. भारतीय संविधान के भाग

भाग	विषय - वस्तु	अनुच्छेद
I	संघ और उसका क्षेत्र	1 से 4
II	नागरिकता	5 से 11
III	मौलिक अधिकार	12 से 35
IV	राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत	36 से 51
IV-A	मौलिक कर्तव्य	51(A)
V	संघ अध्याय I - कार्यपालिका अध्याय II - संसद अध्याय III - राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ अध्याय IV - संघ न्यायपालिका अध्याय V - भारत का महान्यायवादी	52 से 151 52 से 78 79 से 122 123 124 से 147 148 से 151
VI	राज्य अध्याय I - सामान्य अध्याय II - कार्यपालिका अध्याय III - राज्य विधानमंडल अध्याय IV - राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ अध्याय V - उच्च न्यायालय अध्याय VI - अधीनस्थ न्यायालय	152 से 237 152 153 से 167 168 से 212 213 214 से 232 233 से 237
~~VII~~	~~पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य (7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निरस्त)~~	~~238 (हटाया गया)~~
VIII	केंद्र शासित प्रदेश	239 से 242

IX	पंचायतें	243 से 243(ण)
IX-A	नगर पालिकाएँ	243(त) से 243(यछ)
IX-B	सहकारी समितियाँ	243(यज) से 243(यन)
X	अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र	244 और 244(क)
XI	संघ और राज्यों के मध्य संबंध अध्याय I - विधायी संबंध अध्याय II - प्रशासनिक संबंध	245 से 263 245 से 255 256 से 263
XII	वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद अध्याय I - वित्त अध्याय II - उधार लेना अध्याय III - संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद अध्याय IV - संपत्ति का अधिकार	264 से 300-क 264 से 291 292 से 293 294 से 300 300-क
XIII	भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम	301 से 307
XIV	संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ अध्याय I - सेवाएँ अध्याय II - लोक सेवा आयोग	308 से 323 308 से 314 315 से 323
XIV-A	अधिकरण	323(क) और 323(ख)
XV	निर्वाचन	324 से 329(क)
XVI	कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध	330 से 342(क)
XVII	राजभाषा अध्याय I - संघ की भाषा अध्याय II - प्रादेशिक भाषाएँ अध्याय III-सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा अध्याय IV-विशेष निर्देश	343 से 351(क) 343 से 344 345 से 347 348 से 349 350 से 351
XVIII	आपात उपबंध	352 से 360
XIX	प्रकीर्ण	361 से 367
XX	संविधान का संशोधन	368
XXI	अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध	369 से 392
XXII	संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन	393 से 395

3. भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ

संविधान की अनुसूचियाँ भारतीय संविधान की वे सूचियाँ हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी नीतियों, शक्तियों और प्रशासन का वर्गीकरण और विवरण प्रदान करती हैं।

Toppersnotes Unleash the topper in you

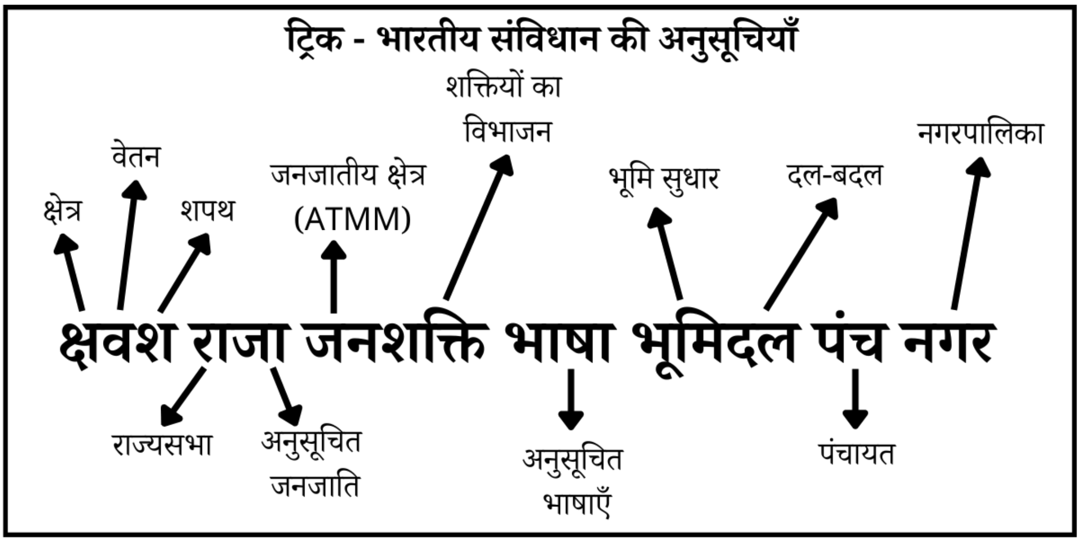

क्रमांक	विषय - वस्तु
पहली अनुसूची	1. राज्यों के नाम और उनका क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार 2. संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनका विस्तार
दूसरी अनुसूची	निम्नलिखित के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार इत्यादि से संबंधित प्रावधान: 1. भारत के राष्ट्रपति 2. राज्यों के राज्यपाल 3. लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 4. राज्यसभा के सभापति और उपसभापति 5. राज्य विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 6. राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति 7. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 8. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 9. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
तीसरी अनुसूची	इनके लिए शपथ या प्रतिज्ञान के प्रपत्र: 1. केन्द्रीय मंत्री 2. संसद के चुनाव के लिए उम्मीदवार 3. संसद सदस्य 4. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 5. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक 6. राज्य के मंत्री 7. राज्य विधानमंडल के लिए चुनाव के लिए उम्मीदवार 8. राज्य विधान मण्डल के सदस्य 9. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
चौथी अनुसूची	राज्य सभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सीटों का आवंटन।
पांचवी अनुसूची	अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान।
छठी अनुसूची	असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान।
सातवीं अनुसूची	सूची I (संघ सूची), सूची II (राज्य सूची) और सूची III (समवर्ती सूची) के अनुसार संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। ➢ संघ सूची में 100 विषय हैं (मूल रूप से 97) ➢ राज्य सूची में 61 विषय हैं (मूल रूप से 66) ➢ समवर्ती सूची में 52 विषय हैं (मूल रूप से 47)

संघ सूची (प्रविष्टि)	राज्य सूची (प्रविष्टि)	समवर्ती सूची (प्रविष्टि)	अवशिष्ट शक्तियां
इन विषयों पर केवल संघीय विधायिका ही कानून बना सकती है। ☑ रक्षा (01), सेना (02) ☑ परमाणु ऊर्जा (06) ☑ विदेश मामले (10) ☑ युद्ध और शांति (15) ☑ बैंकिंग (45), बीमा (47) ☑ रेलवे (22) ☑ डाक और तार (31) ☑ विमानन (29) ☑ बंदरगाह (28) ☑ विदेशी व्यापार (41) ☑ मुद्रा और सिक्का निर्माण (36) ☑ संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव (72)	राज्य विधानमंडल को विशेष अधिकार है कि वे इन विषयों पर कानून बना सकते हैं। ☑ कृषि (14) ☑ पुलिस (02) ☑ जेल (04) ☑ स्थानीय सरकार (05) ☑ लोक स्वास्थ्य (06) ☑ भूमि (18) ☑ शराब (08) ☑ व्यापार और वाणिज्य (60) ☑ पशुधन और पशुपालन (15) ☑ राज्य सार्वजनिक सेवाएँ (01)	संघ और राज्य दोनों इन विषयों पर कानून बना सकते हैं ☑ शिक्षा (25) ☑ कृषि भूमि के अलावा अन्य संपत्ति का हस्तांतरण (06) ☑ वन (17 ए) ☑ व्यापार संघ (22) ☑ मिलावट सम्बन्धी मामले (18) ☑ दत्तक ग्रहण और उत्तराधिकार (05)	☑ अनुच्छेद 248 ☑ इसमें वे सभी मामले शामिल हैं जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं है ☑ केवल संघ विधानमंडल को ऐसे मामलों पर कानून बनाने का अधिकार है ☑ इसमें अवशिष्ट कर लगाने की शक्ति भी शामिल है

आठवीं अनुसूची	संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएँ। मूल रूप से इनमें 14 भाषाएँ थीं, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएँ हैं। ये हैं: ➢ असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई भाषाएँ: ➢ 21वें संशोधन अधिनियम (1967) द्वारा सिंधी जोड़ी गयी। ➢ 71वें संशोधन अधिनियम (1992) द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गयी। ➢ 92वें संशोधन अधिनियम (2003) द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गयी। नोट: संविधान की आठवीं अनुसूची में कई और भाषाओं को शामिल करने की मांग की जा रही है। इनमें मिजो (लुशाई), छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, पहाड़ी (हिमाचली), तुलु, राजस्थानी, भोटिया, नागपुरी आदि भाषाएं शामिल हैं।
नौवीं अनुसूची	राज्य विधानमंडलों के अधिनियम और विनियम (मूल रूप से 13, वर्तमान में 282) जो भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित हैं, और संसद के अन्य मामलों से जुड़े कानून। ➢ इन्हें पहले संविधान संशोधन अधिनियम (1951) द्वारा जोड़ा गया था ताकि इनमें शामिल कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से संरक्षित किया जा सके। ➢ हालांकि, 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल, 1973 के बाद इस अनुसूची में जोड़े गए कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।
दसवीं अनुसूची	संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान, जो दल-बदल के आधार पर लागू होते हैं। ➢ 52वें संशोधन अधिनियम (1985) द्वारा जोड़ी गई, जिसे दलबदल विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है।
ग्यारवीं अनुसूची	पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों का विवरण, जिसमें 29 विषय शामिल हैं। ➢ 73वें संशोधन अधिनियम (1992) द्वारा जोड़ी गई।
बारहवीं अनुसूची	नगरपालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों का विवरण, जिसमें 18 विषय शामिल हैं। ➢ 74वें संशोधन अधिनियम (1992) द्वारा जोड़ी गई।